

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
(जी-3, राजमहल पेलेस रेजिडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर-302013)
(टेलीफैक्स-0141-2222403, ई-मेल-dlbrajasthan.gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)


क्रमांक:-एफ.1(ग)का/स.कर्म.भ./एसएमई/एलएसजी/18/ 2391 दिनांक :- 28/4/18

(राज्य की नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन)

विज्ञापन संख्या 3/2018

माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 की अनुपालना में राज्य की 184 नगरीय निकायों में 21136 सफाई कर्मचारियों की भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/2018 एवं 2/2018 जारी किया गया था, उक्त विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. विज्ञापन संख्या 1/2018 में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची के क्रम संख्या 2 में अंकित सक्षम अधिकारी के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि नगर निगम स्तर के लिये उपायुक्त, नगर परिषद एवं नगर पालिका स्तर के लिये आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, केन्द्र/राज्य सरकार के कार्यालयों में संवेदक के कार्मिकों के लिये संवेदक द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर संबंधित विभाग के कार्यालयाध्यक्ष के प्रति हस्ताक्षर, स्वायत्तशाषी व अर्द्धशासकीय संस्थाओं एवं उपक्रम के कार्यालयाध्यक्ष, प्लेसमेंट एजेन्सियों के लिये प्रोपराईटर द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर कार्यालयाध्यक्ष के प्रति हस्ताक्षर में से "कार्यालयाध्यक्ष के प्रति हस्ताक्षर" वाक्यांश को विलोपित किया जाता है।
2. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि अनुभव प्रमाण पत्र झूठा पाया जाता है तो आवेदक के विरुद्ध संबंधित नगरीय निकाय द्वारा अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी।(शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है)
3. विज्ञापन संख्या 1/18 में आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2019 को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई थी जिसमें संशोधन किया जाकर अधिकतम आयु दिनांक 01.01.2019 को 40 वर्ष होनी चाहिए। विज्ञापन संख्या 1/18 में उल्लेखित अधिकतम आयु सीमा को अन्य छूट यथावत लागू रहेगी।


(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

शपथ पत्र

मैं श्रीपुत्रउम्रजाति
निवासीशपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ, कि मेरे द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु
प्रस्तुत किया गया अनुभव प्रमाण जो कि(संवेदक/प्लेसमेन्ट
का नाम) द्वारा जारी किया गया, वह पूर्णतया सत्य है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार से झूठा पाया जाता है
तो संबंधित मुख्य पालिका अधिकारी मेरे विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही कर सकता है।

सत्यापन

शपथग्रहिता

मैंपुत्र सत्यापित करता हूँ, कि
शपथ-पत्र में अंकित तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सही है। ईश्वर मेरी मदद
करें।

शपथग्रहिता